

**न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड**

जमानत आवेदन क्रमांक 115/18

राजाभैया पुत्र किलेदार सिंह गुर्जर आयु 54 वर्ष  
निवासी ग्राम खरौआ थाना गोहद जिला भिण्डम.प्र.

---आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद

---अनावेदक

05-04-2018

आवेदक/आरोपी राजाभैया की ओर से श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अधीनस्थ/कमिटल न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे0एम0एफ0सी0 गोहद से मूल आपराधिक प्र0क्र0 09/18 पुलिस थाना गोहद विरुद्ध अरविंद उर्फ सोनू आदि एवं पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 229/17 अंतर्गत धारा 304-बी, 201, 34 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री आर0पी0एस0 गुर्जर द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0पी0एस0 गुर्जर द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि आवेदक का उक्त अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक निर्दोष हैं। आवेदक द्वारा मृतिका व उसके परिजनों से कभी भी दहेज की मांग नहीं की गई है। आवेदक को यदि गिरफ्तार किया गया तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी। सहअभियुक्त गुडडीबाई की माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा दिनांक 12.03.18 को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा चुका है। अतः समानता के आधार पर उसे अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने दहेज मृत्यु जैसे गंभीर अपराध किये जाने संबंधी आवेदक के कृत्य को गंभीर स्वरूप का होना एवं अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त कर चुकी महिला गुडडी बाई के कृत्य से आवेदक का कृत्य सारतः भिन्न व गंभीर होना बताते हुये अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन सहित केस डायरी एवं मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 09/18 का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि अभियोजन के अनुसार मृतिका सीतेश का विवाह चार वर्ष पूर्व अभियुक्त सोनू पुत्र अलवेल गुर्जर के साथ हुआ था। विवाह के बाद से पति सोनू, सास गुडडी, ताउ ससुर राजा भईया, पप्पू, गुडडा, चचिया ससुर अतेंद्र, नरेंद्र, जेठ जयपाल, देवर सुरजीत, धर्मेंद्र मृतिका सीतेश से दहेज में दो लाख रुपये व दस तोला सोने के आभूषण की मांग करते हुये उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा घर से निकाल दिया था, जिसकी रिपोर्ट थाना गोहद में की गई थी, उसके बावजूद भी उक्त अभियुक्तगण दहेज की मांग करते परेशान करते रहे तथा उनके द्वारा दिनांक 08.10.17 को मृतिका सीतेश की मारपीट किये जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात मृतिका सीतेश के उक्त ससुरालजन अर्थात् उक्त अभियुक्तगण द्वारा अपने रिश्तेदार प्रकाश व राकेश के सहयोग से हत्या की साक्ष्य को मिटाने के लिये मृतिका सीतेश की लाश को जलाकर अधजली हालत में पानी में फेंक दिया।

उक्त घटना के संबंध में सीतेश के पिता गंगा सिंह के द्वारा थाना गोहद में मार्ग इंटीमेशन दर्ज कराई गई, जिसे जांच करने पर उक्त सभी लोगों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 229/17 अंतर्गत धारा 304-बी, 201, 34 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा मामले में किये गये अनुसंधान के आधार पर आवेदक/अभियुक्त राजाभैया सहित अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत अभियोग पत्र पेश किया गया है, जो कि गंभीर स्वरूप का अपराध है तथा वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है यद्यपि मामले में सहअभियुक्त श्रीमती गुडडी बाई माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के आदेशानुसार अग्रिम जमानत पर है, लेकिन प्रश्नगत घटना में आवेदक/अभियुक्त की भूमिका जमानत प्राप्त कर चुकी उक्त महिला अभियुक्त श्रीमती गुडडी बाई की भूमिका से विशिष्ट रूप से समान होना दर्शित नहीं है। साथ ही पुलिस प्रतिवेदन में

आवेदक/अभियुक्त राजा भैया को घटना के पश्चात से निरंतर फरार होना बताया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत घटना में आवेदक/अभियुक्त राजा भैया की ससुरालीजन के रूप में कारित भूमिका एवं अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख एवं संबंधित थाने को केस डायरी विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी उपलब्ध  
(शासकीय / विधिक)